न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2022

अनवान :

धनसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:– वादी

व ना म

1. विनोददेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सरवती पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. धर्मपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. बलवीर पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. सीयाराम पुत्र सुरस्ती पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण त0 भादरा।
7. सरोज पुत्री सुरस्ती पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र सींवर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 जे जी डब्ल्यु के खाता सं 398 के मु0न0 32 के किला नं0 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10/1 मु0न0 33 के किला नं0 10 कुल किता 7 की 1347 है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादीया विनोद देवी के नाम से 376/1347 हिस्सा एवं प्रतिवादी मुकेश कुमार के नाम से 971/1347 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि मे वादी धनसिंह प्रतिवादी सं0 4 धर्मपाल, प्रतिवादी सं0 5 बलवीर को 253/1347 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी विनोददेवी 292/1347 हिस्सा व प्रतिवादी मुकेश कुमार 802/1347 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं 3, 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष मे त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 90/2022

अनवान :

धनसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

:– वादी

व ना म

1. विनोददेवी पत्नी प्रतापसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. मुकेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सरवती पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. धर्मपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
5. बलवीर पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
6. सीयाराम पुत्र सुरस्ती पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तह0 भादरा।
7. सरोज पुत्री सुरस्ती पुत्री श्योकरण जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक बाबत।

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री रामचन्द्र सिंवर : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक : 25.05.22**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 11 जे जी डब्ल्यु के खाता सं 398 के मु0न0 32 के किला नं0 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10/1 मु0न0 33 के किला नं0 10 कुल किता 7 की 1.347 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी विनोददेवी के नाम से 376/1347 हिस्सा एवं प्रतिवादी मुकेशकुमार के नाम से 971/1347 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादभूमि पहले प्रतिवादी सं0 1 के पति एवं प्रतिवादी सं0 2 के पिता प्रतापसिंह के नाम से खातेदारी हुआ करती थी। प्रतापसिंह ने अपनी उक्त भूमि में से 0.253 है0 बारानी खातेदारी भूमि को वादी के पिता श्योकरण को दिनांक 24.02.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर कब्जा वादी के पिता को उसी दिन सम्भला दिया था। परन्तु आज तक उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादी सं01 के पति एवं प्रतिवादी सं0 2 के पिता प्रतापसिंह पुत्र अमरसिंह का दिनांक 26.06.2012 को देहान्त हो गया जिसके वाद उक्त वादभूमि जिसमें वादी के पिता की खरीद की गई 0.253 है0 भूमि भी शामिल थी, उसका विरासतन नामान्तरण प्रतिवादी सं0 1 व 2 तथा प्रतापसिह की पुत्री प्रियंका के नाम से दर्ज हो गया। वादी के पिता का दिनांक 23.02.2017 को देहान्त हो गया जिस पर उक्त वादभूमि एवं प्रतिवादीगण 3 ता 7 को विरासतन में प्राप्त हो गई, परन्तु रिकार्ड माल में उक्त वादभूमि प्रतिवादी सं01 व 2 के नाम दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हको पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 7 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में धनसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी निनान के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत् 2075–78 प्रदर्श 1, प्रतिलिपि बैयनामा प्रदर्श 2, प्रतिलिपि मृत्यु प्रमाणपत्र श्योकरण प्रदर्श 3ए, प्रतिलिपि मृत्यु प्रमाण पत्र प्रतापसिंह प्रदर्श 4ए, सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण रजिस्टर ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 6, सत्यप्रतिलिपि ग्राम 11 जेजीडब्ल्यु सम्वत 2063–66 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि मे वादी का हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादिया सं0 1 विनोददेवी व प्रतिवादी सं0 2 मुकेशकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि में वादी का हक हिस्सा साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम 11 जेजीडब्ल्य के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादिया सं0 1 विनोददेवी व प्रतिवादी सं0 2 मुकेशकुमार के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी, प्रतिलिपि मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस शपथ पत्र प्रदर्श 1 से 7 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिस शपथ पत्र में वादी के पिता श्योकरण के तीन पुत्र धनसिह, धर्मपाल व बलवीर तथा एक पुत्री सुरस्ती फौत (सीयाराम पुत्र सुरस्ती व सरोज पुत्री सुरस्ती) व रोशनी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा 11 जे जी डब्ल्यु के खाता सं 398 के मु0न0 32 के किला नं0 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10/1 मु0न0 33 के किला नं0 10 कुल किता 7 की 1.347 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया विनोद देवी के नाम से 376/1347 हिस्सा एवं प्रतिवादी मुकेश कुमार के नाम से 971/1347 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उसमे से वादी धनसिंह प्रतिवादी धर्मपाल व बलवीर 253/1347 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी विनोददेवी 292/1347 हिस्सा व प्रतिवादी मुकेश कुमार 802/1347 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं 3, 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व बैयनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 11 जे जी डब्ल्यु के खाता सं 398 के मु0न0 32 के किला नं0 6 ता 8, 9/1, 9/2, 10/1 मु0न0 33 के किला नं0 10 कुल किता 7 की 1.347 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादीया विनोद देवी के नाम से 376/1347 हिस्सा एव प्रतिवादी मुकेश कुमार के नाम से 971/1347 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी धनसिह प्रतिवादी सं0 4 धर्मपाल, प्रतिवादी सं0 5 बलवीर को 253/1347 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार व प्रतिवादी विनोददेवी 292/1347 हिस्सा व प्रतिवादी मुकेश कुमार 802/1347 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं 3, 6 व 7 ने अपना हक हिस्सा वादी एव प्रतिवादी सं0 4 व 5 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner